15|1|21

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली मुल्तवी होकर दिनांक 2|2|2021 को पेश हो।

सांवत-

02|02|21 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता
उपस्थित। रेस्पोंडेंट की तरफ से न
तो अधिवक्ता और न ही स्वयं कोई उपस्थित।
अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया
कि राजस्व ग्राम बासनी तरडा पटवार हल्का
हडुडी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के खसरा
नं. 73 रकबा 66 बीघा 5 बिस्वा कृषिभूमि का
नामांतरकरण संख्या 07 दिनांक 01/07/1961 को
रेस्पोन्डेंट संख्या 01 से 20 के नाम स्वीकृत कर
दिया गया था जबकि अपीलांट के पिता
का 1/3 हिस्सा बनता था एवम् अपीलांट
के पिता को लाऔलाद बताते हुए नामांतरकरण
स्वीकृत किया गया था जबकि अपीलांट, बनाराम
की एकमात्र जाईन्दा पुत्री है जिसको किसी प्रकार
की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
वाले-वाले रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 से 20 के
नाम राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर
नामांतरणकरण स्वीकृत कर दिया जबकि
अपीलांट बनाराम की जाईन्दा पुत्री है
तथा प्रथम श्रेणी की वारिसान है। हिन्दु
उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी
वारिसान का ही नामांतरकरण स्वीकृत
किया जाता है। अपीलांट [illegible] महिला
होने के कारण एवम कानूनी जानकारी
नहीं होने के कारण इतने समय बाद मे
उपरोक्त अपील पेश की है। इसको अंदरमियाद
माना जावे एवम अपीलांट का वर्तमान

सहायक कलेक्टर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested

... तक उक्त जमीन पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त अपील को स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 07 दिनांक 01/07/1961 को खारिज किया जावे एवम बनाराम फोत के स्थान पर दर्ज हो चुके रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 से 20 के नाम हटाकर अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे

अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना गया बहस पर मनन एवम पत्रावली का अध्ययन किया गया। बाद मनन एवम अवलोकन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act स्वीकार की जाती है।

– आदेश –

अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR एक्ट स्वीकार की जाती है। नामांतरकरण संख्या 07 दिनांक 01/07/1961 में अंदराज मियाद मानते हुए बनाराम फोत को लाऔलाद बताते हुए रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 20 के नाम म्युटेशन दर्ज किया गया जो बनाराम फोत की एकमात्र जाईन्दा पुत्री (वारिसान) के तथ्यों को छिपाकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नियमविरुद्ध दर्ज किये जाने से उक्त नामांतरकरण को खारिज किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार बावडी को आदेशित किया जाता है कि बनाराम फोत के स्थान पर अपीलार्थी श्रीमती पा... का नाम राजस्व रेकर्ड में ... बाबत नामांतरकरण की कार्यवाही करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार बावडी को जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं ... अधिकारी ...

रा.मु.जो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:31 IST
Reason: SelfAttested